

प्रेषक,

डॉ० बाल मुकुन्द  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
प्रयागराज।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

विषय- अचल संपत्ति क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति दिलाये जाने के संबंध में।

पत्रांक संख्या- 168 — पी०जे०एफ०सी०, प्रयागराज दिनांक 23.07.2024

महोदय,


ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मैंने दिनांक 19.06.2024 को एक पत्र संख्या-38, दिनांक 19.06.2024 पी०जे०एफ०सी०, प्रयागराज अचल संपत्ति क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त पत्र पोर्टल पर भेजा जाना चाहिए था परन्तु भूलवश उक्त पत्र महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय के वेवसाईट पर ई०मेल कर दिया गया था।

दिनांक 10.07.2024 को पत्रांक संख्या 160 पी०जे०एफ०सी०, प्रयागराज दिनांक 10.07.2024 के साथ दिनांक 19.06.2024 को पूर्व में प्रेषित पत्र व शपथपत्र की पी०डी०एफ० फाईल बनाकर अपने पोर्टल पर अपलोड कराया था परन्तु उस पर पुनः आपत्ति लगायी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.1998 के अनुपालन में पुनः पूर्व में स्वयं द्वारा भेजे गये शपथपत्र व अपने भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या-30806022006 के विगत छः माह की फोटो प्रति तथा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की अद्यतन कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय से उक्त भूखण्ड क्रय करने की अनुमति दिलाने की कृपा करें। प्रार्थी आजीवन आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक 23.07.2024  
यथोपरि

भवदीय  
  
23/7/24  
(डॉ० बाल मुकुन्द)  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
प्रयागराज।